लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मे0 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 का रायपुर से धमतरी तक टूलेन में उन्नयन करने ("Rehabilitation and upgrading to 2-lane with paved shoulders configuration of Raipur-Dhamtari section on NH-43 in the state of Chhattisgarh") के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु रायपुर जिले के खंड के लिये दिनांक 11.01.2012 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।

मे0 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 का रायपुर से धमतरी तक टूलेन में उन्नयन करने ("Rehabilitation and upgrading to 2-lane with paved shoulders configuration of Raipur-Dhamtari section on NH-43 in the state of Chhattisgarh") के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई कराने बावत् छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया। दैनिक भास्कर (रायपुर संस्करण) एवं हिंदुस्तान टाईम्स (दिल्ली संस्करण) समाचार पत्र में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित कर दिनांक 11.01.2012 दिन बुधवार को दोपहर 12:00 बजे जनपद कार्यालय परिसर अभनपुर, तहसील अभनपुर, जिला रायपुर में सुनवाई नियत की गई थी।

दिनांक 11.01.2012 को परियोजना की लोक सुनवाई अपर कलेक्टर, जिला रायपुर श्री रमेश शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान श्री सौमिल चौबे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अभनपुर, श्री आर.बी. देवांगन तहसीलदार अभनपुर, श्री आर.के. शर्मा क्षेत्रीय अधिकारी तथा श्री एस. चौधरी परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं नगर पंचायत अभनपुर के मान्नीय अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बसे नगर पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के लगभग 100 ग्रामीणजन उपस्थित थे। कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों द्वारा उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये गयें है, उनकी सूची **संलग्नक–1** अनुसार है

2. लोक सुनवाई के आरंभ में सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला रायपुर द्वारा प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् लोक सुनवाई के संबंध में जानकारी दी गई।

3. अपर कलेक्टर रायपुर ने कहा कि परियोजना से संबंधित आपके जो भी मत है, जो भी आपत्तियां है या इससे संबंधित विचार है उसको आप यहां पर दर्ज करा सकते है। उन्होने बताया कि इस परियोजना के बारे में एन.एच.ए.आई. के अधिकारी प्रस्तुतीकरण देंगे। उनके द्वारा संपूर्ण परियोजना का विस्तृत विवरण दिया जावेगा।

तत्पश्चात भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक श्री एस. चौधरी ने बताया कि सड़क विकास के लिये महत्वपूर्ण है। इस राजमार्ग में यातायात

बढ़ता जा रहा है, अतः मार्ग का उन्नयन आवश्यक है। मार्ग के उन्नयन से दुर्घटनाओं में कमी होगी, मार्ग के वर्तमान कर्व ठीक किये जायेंगे। रायपुर से 10 कि.मी. तक फोरलेन तथा शेष टूलेन होगी। राजमार्ग के उन्नयन में फुट ओवरब्रिज, बाईपास, रिएलाईनमेंट आदि का प्रावधान है। सड़क की चौड़ाई बढ़ने से धूलकणों की मात्रा में कमी होगी। तदोपरांत परियोजना प्रस्तावक के परामर्शी मे0 आई.सी.टी. प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली के महाप्रबंधक (पर्यावरण) श्री पवन मल्लिक द्वारा परियोजना के संबंध में बताया गया कि प्रस्तावित सड़क की कुल लंबाई 79.25 कि.मी. होगी। परियोजना में 01 बाईपास, 01 पुर्नसंरेखण, 25 पुल, 69 पुलिया, 02 पैदल यात्री पुल, 28 बस पड़ाव तथा 02 टोल प्लाजा का प्रावधान है। उनके द्वारा बताया गया कि सड़क उन्नयन हेतु 217.616 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता होगी, साथ ही 1014 संरचनाओं के प्रभावित होने की संभावना है। प्रस्तावित सड़क के निर्माण के दौरान 13,248 वृक्ष काटे जायेंगे। उक्त में से रायपुर जिले में प्रस्तावित सड़क की कुल लंबाई 29.24 कि.मी. होगी, 01 पुर्नसंरेखण, 06 पुल, 24 पुलिया, 02 पैदल यात्री पुल, 12 बस पड़ाव तथा 01 टोल प्लाजा का प्रावधान है। रायपुर जिले में सड़क उन्नयन हेतु 72 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता होगी, साथ ही सड़क निर्माण के दौरान 6,477 वृक्ष काटे जायेंगे। अभनपुर रीएलाईनमेंट की लंबाई 2.2 कि.मी. होगी। सड़क निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग किया जायेगा, सड़क परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान संभावित कुप्रभावों को नियंत्रित करने हेतु पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तैयार की गई है, जिस हेतु 6.5 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान है। उनके द्वारा बताया गया कि सड़क निर्माण का कार्य भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों के अनुरूप होगा व प्रस्तावित सड़क परियोजना में प्रस्तावित अधिकार क्षेत्र 45 मीटर होगा। प्रस्तावित बाईपास मार्ग हेतु 60 मीटर का अधिकार क्षेत्र आरक्षित किया जावेगा। उन्होने बताया कि इस सड़क के 15 कि.मी. के क्षेत्र में कोई भी चिन्हित पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र, वन्यप्राणी अभ्यारण्य आदि स्थिति नहीं है। यद्यपि सुरक्षित/संरक्षित वन, महानदी एवं गंगरेल बांध जैसे संवेदनशील क्षेत्र 15 कि.मी. के अंतर्गत स्थित हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के आस–पास वायु, जल, भूमिगत जल, मृदा एवं ध्वनि के लिये गये नमूनों में गुणवत्ता मानक सीमा के निकट या नीचे पाई गई है। सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जायेगा, संवेदनशील स्थलों पर सघन वृक्षारोपण किया जायेगा। 1 पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाये जायेंगे। ज्वांईंट मेजरमेंट में सबकुछ स्पष्ट हो जायेगा कि, रोड कहां से जायेगी और किसकी जमीन जा रही है।

अपर कलेक्टर रायपुर श्री रमेश शर्मा ने कहा कि पर्यावरण के संबंध में आप लोगों को जो भी शंकायें हैं, उन्हे आप व्यक्त कर सकते हैं। आपके द्वारा व्यक्त किये गये मौखिक अथवा लिखित विचारों को मूलतः कार्यवाही विवरण में दर्ज किया जाकर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जावेगा, जिससे भारत सरकार आपके विचारों को जान सके। इस कार्यवाही विवरण की एक प्रति आपको भी दी जावेगी।

4. तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रक्रिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :–

1 श्री राधेकृष्ण टंडन, अध्यक्ष नगर पंचायत अभनपुर ने पूछा कि–जो निजी वृक्ष हैं, उनके मुआवजे की दर क्या होगी, बाईपास रोड में किसानो की जो जमीन

अधिग्रहीत की जायेगी, उसका मुआवजा वर्तमान में मुख्य मार्ग के किनारे की जमीन के मूल्य से बहुत कम नहीं होना चाहिये। भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में थोड़ा–बहुत अंतर चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिये। जिनकी पूरी जमीन या मकान जा रहा है, पहले उसका विस्थापन होना चाहिये, उसकी बाद ही उनकी जमीन लेना चाहिये। उनके द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण में मुआवजे का भुगतान बाजार मूल्य पर किया जाने की सलाह दी साथ ही कहा कि भूमि का अधिग्रहण पुनर्वास के पश्चात ही किया जाना चाहिये।

2 श्री बबला यादव, अभनपुर ने पूछा कि–परियोजना क्षेत्र में कितने पेड़ आ रहे हैं, और उनमें से कितने बचेंगे।

3 श्री भगवान धर दीवान, अभनपुर ने कहा कि–मैं पर्यावरणीय दृष्टि से इस परियोजना के प्रस्ताव से सिंद्धातः सहमत हूं। रोड चौड़ीकरण में प्रभावित किसानों को मुआवजा तो मिलेगा, किंतु किसानों की जमीन का जो टुकड़ा बचेगा उसको उपयोगी बनाये जाने के उपाय किये जाने चाहिये।

4 श्री महेश शर्मा, अभनपुर ने कहा कि–इस परियोजना से स्कूल प्रभावित होंगे। उन्होने कहा कि देवपुरी, माना आदि के समस्त स्कूलों के समीप अंडरब्रिज, फुटब्रिज का निर्माण किया जाना चाहिये।

5 श्री कचलू भटकल, अभनपुर द्वारा कहा गया कि–इस लोक सुनवाई का जिस ढंग से प्रचार–प्रसार किया जाना था, वैसा नहीं किया गया है। राजमार्ग बनने के बाद क्या दुर्घटनायें कम होंगी, पर्यावरण सभी की जरूरत है, रोड बनने के बाद वृक्षारोपण का ध्यान रखा जाये। 1 पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाने की बात कही गई है, क्या यह सही है, इसका क्रियान्वयन किया जाये। पास के तालाबों को प्रभावित करते हुये रोड निकाली जा रही है, अतः जल स्तर का ध्यान रखा जाये। अभनपुर में जो बाईपास बनाया जा रहा है, वह दीर्घकालीक बने। स्कूल के समीप पैदल उपरी पुल का निर्माण, सड़क में सुरक्षात्मक चिन्ह, निर्माण कार्य में कम से कम पेड़ कटने व वृक्षारोपण की समुचित देखभाल की मांग की गई। उनके द्वारा अभनपुर पुर्नसंरेखन की लंबाई बढ़ाने की मांग की गई तथा प्रस्तावित सड़क निर्माण में जल निकासी के समुचित प्रावधान रखने की सलाह दी गई। उन्होने कहा कि जो सुरक्षात्मक उपाय, मार्ग के चौड़ीकरण के बाद किये जाने है, वे उपाय वर्तमान सड़क में भी किये जाने चाहिये।

6 श्री प्रेमचंद लुनावत, अभनपुर ने कहा कि–शासकीय भूमि के ज्यादा वृक्ष कट रहें हैं, निजी भूमि के कम वृक्ष कटेंगे। सड़क उन्नयन में निजी वृक्षों के काटने पर उचित मुआवजा दिया जावे, जिससे वे और वृक्ष लगा सके। क्षतिपूरक वृक्षारोपण में 1 के बदले 10 वृक्ष लगाये जाये। उन्होने कहा कि अगर ज्यादा लोगों को सूचना मिलती तो, ज्यादा लोग आते और अपने विचार रखते। लोक सुनवाई एक अच्छी पहल है।

7 श्री नीरज छापड़िया, उरला अभनपुर ने पूछा कि–चारों ओर से पक्की बांउण्ड्रीवाल से घिरे मकान का मुआवजा किस दर से दिया जावेगा, उन्होने पूछा कि नगर पंचायत सीमा के अंतर्गत मुआवजे की दर की गणना कैसे की जायेगी।

उन्होने अपने राजस्व प्रकरण के निराकरण के संबंध में तथा नक्शे में त्रुटि के संबंध में जानकारी चाही तथा विषमताओं को दूर करने का अनुरोध किया।

8 श्री घासीराम साहू, अभनपुर ने कहा कि–60 मीटर चौड़ीकरण होने पर बाईपास में अव्यस्थित दोनों तालाब खत्म हो जायेंगे। अभनपुर में बाईपास से लिफ्ट एरिगेशन सिस्टम प्रभावित हो रहा है, जिससे किसानों को समस्या होगी तथा दो पंप हॉउस जो नगर पंचातय में चलते हैं, वह भी खत्म हो जायेंगे। रोड बनने से यहां का जल स्तर प्रभावित होगा तथा पेयजल की समस्या विकराल होगी। नवीन रायपुर बसने जा रहा है, इसलिये बाईपास दूर होना चाहिये।

9 श्री मन्नूलाल सिन्हा, अभनपुर द्वारा–भूमि अधिग्रहण की प्रकिया, रायपुर में प्रभावित होने वाले तालाबों की संख्या, प्रभावित होने वाले वृक्षों तथा शासन की भूमि पर बनाये गये मंदिरों के मुआवजे की जानकारी चाही गई।

10 श्री गुलशन गुलाटी, अभनपुर द्वारा–क्षतिपूरक वृक्षारोपण में फलदार वृक्षों को लगाने का सुझाव दिया गया। उन्होने यह भी कहा कि जहां पर जगह कम है, वहां आस–पास की जमीन में वृक्षारोपण किया जाना चाहिये तथा राजमार्ग के किनारे के विद्यालयों में भी वृक्षारोपण किया जाना चाहिये।

11 श्री गोपाल गांधी, अभनपुर द्वारा–पुर्नसंरेखन की जानकारी चाही गई।

12 श्री एस. चौधरी, परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बताया कि–वृक्षों की संयुक्त गणना का कार्य प्रगति पर है, परियोजना से प्रभावित भूमि एवं वृक्षों का संयुक्त सत्यापन तहसील के पटवारी तथा वन विभाग द्वारा किया जायेगा।

श्री रमेश शर्मा, अपर कलेक्टर, जिला रायपुर ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 'डी' का प्रकाशन प्रक्रियाधीन है। धारा 3 'ए' के अंतर्गत अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का खाता, खसरा, रकबा दो समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा चुका है, जिस पर आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। उन आपत्तियों को संबंधित व्यक्ति की उपस्थिति में सीमांकन किया जाकर निराकृत किया जावेगा जिसके बाद ही 3 'डी' का प्रकाशन किया जावेगा, जिसमें वास्तव में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की जानकारी होगी तथा इसी के आधार पर मुआवजे का निर्धारण किया जावेगा। इसके बाद ही भूमि अधिग्रहित की जावेगी। उन्होने कहा कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण वन विभाग द्वारा किया जायेगा।

उन्होने बताया कि स्टांम्प ड्यूटी का भुगतान वर्गफीट के आधार पर होगा तब मुआवजे का भुगतान भी वर्गफीट के आधार पर होगा। यदि स्टांम्प ड्यूटी प्रति हेक्टेयर लगाई जाती है, तो मुआवजा भी प्रति हेक्टेयर के दर पर होगा। उन्होने कहा कि हम यहां पर्यावरण की बात करने बैठें हैं, पर्यावरण एवं भूमि अधिग्रहण दोनों अलग–अलग मुद्दे हैं। आप लोग जो बात कह रहे हैं, वह भूमि अधिग्रहण का मुद्दा है। किस व्यक्ति के कितने पेड़ जा रहे हैं, इसका प्रकाशन होगा। भूमि अधिग्रहण के लिये 3 'ए' का प्रकाशन हो चुका है, आप अपनी आपत्ति पेश करें, आपकी उपस्थिति में सीमांकन होगा, जो भी निर्णय होगा उसकी कापी आपको उपलब्ध कराई जायेगी। इसके बाद 3 'डी' का प्रकाशन होगा। 3 'डी' के प्रकाशन के बाद स्पष्ट हो जायेगा कि किस व्यक्ति

की कितनी जमीन जा रही है, कितने पेड़ जा रहे हैं। रायपुर से धमतरी तक लगभग 13,000 पेड़ प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें लगभग 4,000 पेड़ रायपुर जिले में है। अभी हमने केवल सरकारी पेड़ काटने की अनुमति दी है, जिसमें शर्त लगाई गई है कि 1 पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाये जावें। जो भी वृक्ष लगेगे उनकी न्यूनतम उंचाई 5 फीट होगी। वन विभाग द्वारा वृक्षों की कटाई की जायेगी तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण भी वन विभाग द्वारा किया जायेगा, वृक्षों के पालन का कार्य भी वन विभाग द्वारा किया जायेगा। वृक्षारोपण तथा उसके 5 वर्षों के देखभाल का खर्च राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वहन करेगी। क्षतिपूरक वृक्षारोपण में लगाये वृक्षों पर वन विभाग का स्वामित्व होगा। फलदार/निजी वृक्षों का मुआवजा उद्यानिकी विभाग तय करेगा।

उन्होने बताया कि राजमार्ग का उन्नयन भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित है। अतः इस परियोजना में निर्धारित मुआवजे के अलावा 10 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा दिया जायेगा। उन्होने बताया कि एस.डी.एम. द्वारा गाईडलाईन के आधार पर मुआवजे की राशि तय की जायेगी। एस.डी.एम. द्वारा तय की गई राशि पर, यदि किसी को आपत्ति है तो आर्बिट्रेटर के माध्यम से दर निर्धारित कराई जा सकती है। आर्बिट्रेटर द्वारा तय किये गये मुआवजे पर भी यदि किसी को आपत्ति है, तो मुआवजे की दर मान्नीय उच्च न्यायालय में तय होती है। मुआवजे की राशि का भुगतान एन.एच.ए.आई. के द्वारा शासन को किया जावेगा।

श्री रमेश शर्मा, अपर कलेक्टर, जिला रायपुर ने बताया कि अभनपुर के दो तालाबों के डिस्टर्ब होने की बात आई है, उन्होने बताया कि अभनपुर में रीएलाईनमेंट से दोनो तालाब डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। इस लोक सुनवाई में चार बिंदु सामने आये हैं–(1) वृक्षों के संबंध में (2) तालाबों से संबंधित (3) निर्माण से संबंधित (4) भूमि का मुआवजा। यह जनसुनवाई पर्यावरणीय मामलों के लिये की जा रही है, उन्होने कहा कि पर्यावरण से संबंधित दो बिंदु हैं–(1) वृक्षों के संबंध में (2) तालाबों से संबंधित। रायपुर जिले में कोई भी तालाब प्रभावित नहीं हो रहा है, जो वृक्ष शासकीय भूमि पर हैं, उन पर 1 के बदले 10 वृक्ष लगाये जायेंगे, इनकी राशि एन.एच.ए.आई. के द्वारा वन विभाग में जमा करने के पश्चात वन विभाग द्वारा वृक्षों की कटाई की जायेगी। उन्होने बताया कि अभनपुर में बाईपास नहीं बनाया जा रहा है। यह रीएलाईनमेंट है। कर्वेचर एवं एलाईनमेंट को सुधारने के लिये रीएलाईनमेंट किया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग फोरलेन निर्माण के लिए अभी आप लोगों के समक्ष जो जन सुनवाई रखी गई थी, इस संबंध में नागरिकों से सुझाव और सलाह हमें प्राप्त हुये हैं और कुछ प्रश्न भी पूछे गये हैं, जिसके संबंध में आप लोगों को जानकारी दी गई और आप लोगों का सुझाव रिकार्ड किया गया है। जो लिखित अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं उसे भी रिकार्ड किया गया है। प्राप्त अभ्यावेदन, सुझाव, आपत्तियों आदि को लोक सुनवाई के कार्यवाही विवरण के साथ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार को भेजा जायेगा। आज आप लोगों ने इस जन सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित होकर जो सहयोग दिया और सुनवाई को सफल बनाया उसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोकसुनवाई की कार्यवाही समाप्त की गई।

संपूर्ण लोकसुनवाई की विडियोग्राफी की गई है। लोकसुनवाई के दौरान कुल 06 अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं।

अपर कलेक्टर
रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)